संख्या-14/2023/386/तेईस-7-2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ:दिनांक अप्रैल, 2023

विषयः- श्री कृष्णाकांत सक्सेना, सेवानिवृत्त, प्रशासनिक अधिकारी, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बदायू द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती अनीता सक्सेना की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-575 व्यग/07व्यग(53)/2022, दिनांक 17.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री कृष्णाकांत सक्सेना, सेवानिवृत्त, प्रशासनिक अधिकारी, प्रा0 ख0, लो0नि0वि0, बदायूँ द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती अनीता सक्सेना का उपचार मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली, गाजियाबाद, में दिनांक 21.05.2022 से 03.06.2022 तक कराया गया। उक्त चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 7,33,899.00/-(रूपये सात लाख तैंतीस हजार आठ सौ निन्यानबे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने का दावा प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूँ ने उक्त दावें का परीक्षण कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत करने के उपरान्त रू0 6,70,274.00/- (रूपये छः लाख सत्तर हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) की धनराशि प्रतिपूर्ति योग्य अनुमन्य इंगित करते हुए अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र-बी पर अनुमन्य धनराशि अंकित कर प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

2- अतएव श्री कृष्णाकांत सक्सेना, सेवानिवृत्त, प्रशासनिक अधिकारी, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, बदायूँ द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती अनीता सक्सेना की करायी गयी चिकित्सा पर व्यय हुई धनराशि रू0 7,33,899.00/- (रूपये सात लाख तैंतीस हजार आठ सौ निन्यानबे मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूँ द्वारा संस्तुत धनराशि रू 6,70,274.00/-(रूपये छः लाख सत्तर हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति की नियमानुसार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2014 (यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त प्रतिपूर्ति दावें की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-62 के अधीन लेखाशीर्षक''2071-लोक निर्माण कार्य-आयोजनेन्तर-80-सामान्य-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03- निदेशन के 49-चिकित्सा व्यय'' के मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-14/2023/386(1)/23-7-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- नोडल अधिकारी, बजट, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद बदायूँ ।
5- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूँ ।
6- श्री कृष्णाकांत सक्सेना, सेवानिवृत्त, प्रशासनिक अधिकारी, लो0नि0वि0, बदायूँ ।
7- गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।